

12/6/24

राजस्थान सरकार  
श्रम विभाग

क्रमांक-एफ.14(3)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट-2/

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा राज्य के नगरीय निकायों के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि दिनांक **30.06.2024** निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-28 के अनुसार नगरीय निकायों के चुनावों के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं। धारा 135 (ख) निम्न उद्धृत है:-

"135 ख- मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतन अवकाश की मंजूरी-

- (1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
- (2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।
- (3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500/- तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- (4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

अतः सम्बन्धित नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रम, या कारबार/व्यवसाय, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों से उनके क्षेत्र में 'मतदान दिवस' दिनांक **30.06.2024** के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) की पालना अपेक्षित है, ताकि कामगारों द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग किया जा सके। अतः पालना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(करण सिंह)

श्रम आयुक्त

राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref  
7916580



Digitally signed by Karan Singh  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.06.11 12:11:07 IST  
Reason: Approved

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2023/1851

दिनांक:- 12/6/2024

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर हनुमानगढ़, झुंझनू, गंगापुरसिटी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अंजू वर्मा)

सहायक सचिव

